चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

R. Tiwari

R Yadav 28.12.07

पत्रांक : सम्बद्धता/2996

दिनांक : 24 नवम्बर, 2007

सचिव,

भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन,

भगवन्तपुरम, 17, माईल स्टोन, बिजनौर-दिल्ली हाईवे,

मुजफ्फरनगर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2640/सत्तर-2-2007-2(336)/2007, दिनांक 21.09.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन, भगवन्तपुरम, मुजफ्फरनगर को बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन), अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय " प्रपत्र बी " में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या-9851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन, भगवन्तपुरम, मुजफ्फरनगर को बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (संख्या) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रायोगात्मक) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/ 1819

दिनांक:- 30.10.2003

सचिव,
भगवंत कालिज ऑफ एजूकेशन,
भगवन्तपुरम,मुजफ्फरनगर।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 2349/जी.एस. दिनांक 12.09.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के के सम्बन्ध में उ0प्र0राज्य वि0वि0(संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन भगवंत कालिज ऑफ एजूकेशन, भगवन्तपुरम मुजफ्फरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2003 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0राज्य वि0वि0(संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2)के प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा। अन्यथा अगले शैक्षिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. संस्थान महाविद्यालय प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष [illegible] कि संस्थान महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2003 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय नियमानुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी कमेटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

Chairman

B.Ed. f.b

संख्या- / /

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2018

विषय- निजी संस्थान भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0-750,751,752,737/2,738,746, ग्राम- कैलापुर जसमौर, पो0-कसनपुर खोला, तह0-जानसठ, जिला- मुज्जफर नगर को डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निजी संस्थान भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0-750,751,752,737/2,738,746, ग्राम-कैलापुर जसमौर पो0-कसनपुर खोला, तह0-जानसठ जिला-मुज्जफर नगर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्रमुख एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी धार्य परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के नियुक्ति पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन- 302005।
3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुज्जफर नगर।
5- सचिव/प्रबन्धक भगवन्त कालेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0-750,751,752,737/2,738,746, ग्राम-कैलापुर जसमौर पो0-कसनपुर खोला, तह0-जानसठ, जिला-मुज्जफर नगर।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

कार्यालयः सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

पृ0सं0: निजी बी0टी0सी0/ 3607-14 /2018-19 दिनांक- 15-6-2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-11, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी0-7 सेक्टर-10 द्वारिका,नई दिल्ली-75।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुज्जफर नगर।
8. सचिव/प्रबन्धक, भगवन्त कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं0-750, 751, 752,737/2, 738, 746 ग्राम-कैलापुर जसमौर, पो0-कसनपुर खोला, तह0-जानसठ, जिला-मुज्जफर नगर।
9. गार्ड फाइल।

डॉ0(श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0 इलाहाबाद।
15/6/18